बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 –46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–सा०का०नि० 1203 (अ), दिनांक–26.09.2017 द्वारा "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017" अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय ज्ञापांक–वन्यप्राणी–16/2012–160 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक–31.01.2020 द्वारा "बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" का गठन किया गया। आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 की नियम संख्या 5(6) (क) में आमजन द्वारा प्राधिकरण को दी गयी शिकायतों की सुनवाई करने एवं उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक शिकायत समिति गठित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को दी गई शिकायतों की सुनवाई एवं अग्रेषित करने हेतु शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	अध्यक्ष
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (जलवायु परिवर्तन संभाग), बिहार	सदस्य
3.	डॉ० विद्यानाथ झा, प्रोफेसर ऑफ बोटनी, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा।	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक (जलवायु परिवर्तन संभाग)	सदस्य सचिव

समिति के कार्य :–

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत समिति आमजनों द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध करायेगी (नियम 5 (6) (ख) आर्द्रभूमि नियम)।

उक्त समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक् करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.1.2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020–46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020– 46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020– 46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–प्राधिकरण एवं तकनीकी समिति/शिकायत समिति/अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020–46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020–46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020–46, पटना–15, दिनांक–27/01/2022

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव